रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122022-240803
CG-DL-W-05122022-240803

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2022, शनिवार/ कार्तिक 22—कार्तिक 28, 1944
No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2022, SATURDAY/KARTIKA 22—KARTIKA 28, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2022

का.नि.आ. 60.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना में मास्टर शिल्पकार पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, मास्टर शिल्पकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आरंभिक गठन.–**ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त प्रारंभ की तारीख से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को परिवीक्षा अवधि, पेंशन फायदों और अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति का विनिश्चय करने के लिए गणना में लिया जाएगा ।

5. **निरर्हता .– वह व्यक्ति , –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
मास्टर शिल्पकार	349* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹ 35400-112400)

चयन या अचयन पद	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	(6)	(7)
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	(i) 77 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें

		अल्पकालिक संविदा भी है । (ii) 23 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (₹29200-92300) में ऐसे अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I जिन्होंने समुचित श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा यूनिट या स्थापन में की हो और यथाविहित विभाग द्वारा दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठन से ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ है, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :- **आवश्यक :** किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग– अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी- सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग– अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है- सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	

[फा. सं. वा. से. मु. /23049/आर आर/एम सी एम/पी सी (आर आर और खेलकूद)/ 289/र.(नि.)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th October, 2022

S.R.O. 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Master Craftsman in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force, Master Craftsman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.–The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.–The personnel holding the posts on regular basis, on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their probation period, pensionery benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Master Craftsman.	349 * (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) Seventy-seven per cent. by promotion failing which by deputation including short- term contract. (ii)Twenty-three per cent. by deputation including short- term contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: From amongst Highly Skilled Worker Grade-I of appropriate trade in level-5 in the pay matrix (Rs 29200-92300) with six years regular service in the unit or establishment and having two to four weeks mandatory training as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or the Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or statutory or autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs 29200-92300) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- **Essential:** Industrial Training Institute Certificate in the appropriate trade from a recognised institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Air Officer Commanding or Officer Commanding- Chairman; 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made- Member; 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer- Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Air Officer Commanding or Officer Commanding- Chairman; 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made- Member; 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. Air HQ/23049/RRs/MCM/PC-RRs & Sports/ 289/D (Apptts)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.नि.आ. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या**, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	21* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78800रु.-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है; तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की सड़सठ	समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति पर विचार	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी

		प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I द्वारा और तैंतीस प्रतिशत ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I द्वारा भरी जानी है श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (6700-208700) में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हों, और	करने के लिए) 1. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय - सदस्य 3. निदेशक, कार्मिक या निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अथवा प्रधान निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय – सदस्य	की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, हो - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) प्रशासनिक या स्थापना अथवा लेखा मामलों में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/03/1227/डी(आरएवं डी) तारीख, 14 नवम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th November, 2022.

S.R.O. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Chief Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Administrative Officer in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Chief Administrative Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**. -The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Chief Administrative Officer.	21 (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation.	Promotion: Sixty-seven per cent. vacancies of Chief Administrative Officer grade to be filled by Senior Administrative Officer Grade-I and Thirty-three per cent. by Senior Stores Officer Grade-I in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed of two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairman; 2. Director General Defence Research and Development Organisation Headquarter – Member; 3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development or Principal Director Armed Forces Headquarters Civil Service Ministry of Defence – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

			posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience,- (i) Bachelor degree from a recognised University or institute. (ii) Ten years experience in Administrative or Establishment or Accounts matters. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/03/1227/D(R&D) dated, 14 November, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक श्रेणी-I पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में आशुलिपिक श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आशुलिपिक श्रेणी-I पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता.-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-I	244* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रू)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं; (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष विधिक की जा सकती है)। **टिप्पणी:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की	आवश्यक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। 2. कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण **श्रुतलेख:** 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट तक । अनुलिपिकरण: 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिंदी) **टिप्पण 1.** प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों अर्थात्

					जाएगी।	आशुलिपिक श्रेणी-II के पद में विद्यमान पदधारियों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नलिखित होगी: (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (12वीं) का प्रमाण पत्र। (ii) अंग्रेजी आशुलिपि में विशुद्ध 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में विशुद्ध 40 शब्द प्रति मिनट की गति अथवा हिंदी में विशुद्ध 30 शब्द प्रति मिनट अथवा कंप्यूटर में आंकड़ा प्रविष्टि के लिए 8000 की डिप्रेशन की गति **टिप्पण 2**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मेंतब शिथिल , की जा सकती है जब चयन र के किसी प्रक्रम प प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के

						अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत कार्मिकों के लिए 2 वर्ष	30 प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 70 प्रतिशत सीधी भर्ती	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (25500-81100 रु.) में ऐसा आशुलिपिक जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र (सेप्टेम) या विभाग द्वारा विहित किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. निदेशक, इलैक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना (एलआरडीई), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन-अध्यक्ष; 2. किसी भी सहभागी प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II अथवा समतुल्य अधिकारी की रैंक से अन्यून के दो	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

			और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीः (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	अधिकारी-सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' की रैंक से अन्यून का एक अधिकारी जो किसी स्थापना या प्रयोगशाला से संबंध नहीं रखते हो अथवा डीआरडीओ मुख्यालय से समतुल्य स्तर के अधिकारी -सदस्य; ग्रुप 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नानुसार होंगे:- 1. निदेशक, इलैक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना (एलआरडीई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन- अध्यक्ष 2. किसी भी सहभागी प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II अथवा समतुल्य अधिकारी की रैंक से अन्यून के दो अधिकारी-सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I अथवा	

			प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	वैज्ञानिक 'सी' की रैंक का एक अधिकारी जो किसी भी संघटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंध नहीं रखते हो अथवा डीआरडीओ मुख्यालय से समतुल्य स्तर के अधिकारी-सदस्य;	

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक/ आरआरएस/सी/पी/02/1228/डी(आरएंडडी) तारीख, 14 नवम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 2022

S.R.O. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I posts Recruitment Rules, 2015 in so far as they relates to the post of Stenographer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Stenographer Grade-I in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stenographer Grade-I post Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of the posts, classification and level in pay matrix.-**The number of said post, their classification and the level in pay matrix, attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Stenographer Grade-I.	244* (2022) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level -6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxation for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by Central Government). **Note :-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Comission.	**Essential :** (i) Bachelors degree of a recognised university or institute. (ii) Skill test norms on computer Dictation: 10 minutes at the speed of 100 words per minute. Transcription: 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi). **Note 1.** The educational qualification for promotes i.e. existing incumbents in the post of Stenographer Grade-II will be as follows : (i) Senior Secondary School Certificate (12^{th}) recognized by the Central Government or State Government. (ii) Accurate speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing in English or 30 words per minute in Hindi or accurate speed of 8000 key depressions per hour for data entry into computer. **Note 2.** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

						Note 3: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	2 years for direct recruits and promotees.	30 percent promotion failing which by deputation 70 percent Direct Recruitment.	Promotion: Stenographers Grade-II in Level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade, who have successful completion two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and management (CEPTEM) or any	Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment (LRDE), Defence Research and Development	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			other recognized training institutes prescribed by the department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract):- Officers holding the post in Stenographer Cadre under the Central Government or State Government or Union Territories. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten year service in the Stenographers grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for	Organization - Chairman; 2. Two Officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or Establishments - Member; 3. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist C who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from DRDO HQ – Member; Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment (LRDE), Defence Research and Development Organisation – Chairman; 2. Two Officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or Establishments – Member; 3. An Officer not below the rank of Senior	

			appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Administrative Officer Grade-I or Scientist C who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from DRDO HQ – Member;	

[F. No. DHRD/87661/Stenographers/RRs/C/P/02/1228/D(R&D) dated, 14 November, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.नि.आ. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' आशुलिपिक श्रेणी-II पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-II	160* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81100 रू.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालिस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेखः 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट तक। **अनुलिपिकरणः** 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)

					निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपों तथा लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।	पद के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पद या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन- अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II से अन्यून पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से कोई समतुल्य अधिकारी-सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'सी' से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी जिसका संबंधित संघटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंध न हो या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय से समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी-सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक—II/आरआरएस/सी/पी/02/1225/डी(आरएंडडी) तारीख, 14 नवम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 2022

S.R.O. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' Stenographer Grade-II posts Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Stenographer Grade-II.	160* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or other issued	(i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) Skill test norms Dictation: ten minutes @ eighty words per minutes. Transcription: fifty minutes (English) or sixty-five minutes (Hindi) (Only on computers).

					by the Central Governmentt from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction	By direct recruitment through advertisement of Defence Research and Development	Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering	Not applicable.

	training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Organisation for the post. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational-qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		confirmation) consisting of:- 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment, Defence Research and Development Organisation – Chairman; 2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer from any of the participating Laboratories or Establishments – Members; 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or officer of equivalent level from Defence Research and Development Organisation Headquarter – Member.	

[F. No. DHRD/87661/Steno-II/RRs/C/P/02/1225/D(R&D) dated, 14 November, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.नि.आ. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव पद भर्ती नियम 2022 का संशोधन करने के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव पद भर्ती नियम, (संशोधित) 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव पद भर्ती नियम, 2022 है।

(1) अनुसूची में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद के सामने स्तंभ (11) में "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन "पांच" शब्दों के स्थान पर "दो" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक/आरआरएस/सी/पी/04/1226/डी(आरएंडडी) तारीख, 14 नवम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-4 में का.नि.आ. संख्या 45, तारीख 10 अगस्त 2022 के अधीन प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 14th November, 2022

S.R.O. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Senior Private Secretary and Private Secretary posts Recruitment Rules, 2022.

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary and Private Secretary posts Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary and Private Secretary posts Recruitment Rules, 2022.

(1) In the Schedule, against the post of Senior Private Secretary in column (11),- under heading "promotion" for the words "five", the words "two" shall be substituted.

[F. No. DHRD/87661/Stenographers/RRs/C/P/04/1226/D(R&D) dated, 14 November, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Official Gazette of India, Part-II, Section-4 vide S.R.O. Number 45, dated the 10th August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.05 14:16:13 +05'30'